न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री शक्ति सिंह राठौड़, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2023/424/जिला– ब्यावर

श्रीमती संतोष पुत्री श्री हजारी पत्नी श्री रामसिंह जाति रावत, निवासी भोजपुरा हाल निवासी बलाड़ तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमति लाडी बेवा श्री पूना जाति रावत, निवासी भोजपुरा हाल निवासी धानमण्डी के पीछे, अमरी का बाडिया, सेदरिया रोड चौराहा, मेवाडी गेट बाहर, ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
2. शंकर पुत्र श्री चतरा
3. भागू पुत्र श्री पेमा
4. सुखदेव पुत्र श्री पेमा
5. भंवर पुत्र श्री घुला
6. बदामी पुत्री घुला
7. राधा पुत्री धुला
8. यशोदा पुत्री धुला
9. सम्पति पुत्री धुला
10. फेफी बेवा धुला
11. कमला बेवा श्री जेठू (जेठू पुत्र धूला)
12. परमेश पुत्र श्री जेठू
13. बहादूर पुत्र श्री जेठू
14. टीकम पुत्र श्री जेठू
15. मीरा पुत्री जेठू
16. सीता पुत्री जेठू
17. लक्ष्मी बेवा श्री गाजी
18. रूपसिंह पुत्र श्री गाजी
19. इन्दा पुत्री गाजी
20. मैना पुत्री गाजी
21. तेजा पुत्र श्री हमीरा
22. अमरसिंह पुत्र श्री पहाडा

    समस्त जाति रावत, निवासी भोजपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
23. श्रीमति लक्ष्मी पुत्री श्री पेमा पत्नि श्री बाबूसिंह जाति रावत, दोनो निवासी अतीतमण्ड तहसील ब्यावर, जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
24. कमला पुत्री चतरसिंह
25. बन्नी बेवा चतरसिंह

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

संभागीय आयुक्त
अजमेर

26. सुगना देवा लक्ष्मण
27. अमरसिह पुत्र पहाडा
28. तेजा पुत्र हमीरा
    समस्त जाति रावत, निवासी भोजपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 16–03–2012
अन्तर्गत अपील संख्या 05/2011 बउनवान संतोष बनाम लाडी व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री अजीत सिंह राठौड, अभिभाषक अपीलार्थी
प्रत्यर्थीगण के अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 30–12–2025

न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर सत्यमेव जयते

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भोजपुरा तहसील ब्यावर स्थित वादग्रस्त आराजियात जो कि संयुक्त खातेदारी/सहखातेदारी की पुश्तैनी आराजियात थी। वादग्रस्त आराजियात के खातेदार गुमाना पुत्र देवा जाति रावत के देहान्त के उपरान्त गुमाना को लाऔलाद फौत बताते हुए विरासत का नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 17–06–1992 अतिरिक्त तहसीलदार, टॉडगढ़ ने प्रत्यर्थी संख्या 1 लाडी बेवा श्री पूना जाति रावत निवासी भोजपुरा तहसील ब्यावर के नाम तस्दीक कर दिया जबकि गुमाना पुत्र देवा के जीवित विधिक वारिसान अपीलार्थी श्रीमती संतोष पुत्री श्री गुमाना है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 16–03–2012 से अपील खारिज कर दी। जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त आदेश से व्यथित होंकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण के अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त अजमेर

अपीलाथीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अतिरिक्त तहसीलदार, टाडगढ ने अपीलार्थी को खातेदार श्री गुमाना की विधिक वारिस होने के बावजूद साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना नामान्तरकरण संख्या 61 दिनंक

17–06–1992 तस्दीक कर दिया। जिसकी अपील जिला कलटर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 24–02–2012 को बहस नियत की गई। तत्पश्चात 15 दिन व्यतीत होने के उपरान्त रीडर द्वारा जमाबंदी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये जिस पर अभिभाषक ने पक्षकार को सूचित किया लेकिन अपीलार्थी राजस्थान से बाहर रहने के कारण समय पर नहीं आ सकी और अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29–06–2012 को जमाबंदी की नकल प्राप्त की तत्पश्चात अभिभाषक को दी गई तब अभिभाषक द्वारा बताया कि उक्त प्रकरण में निर्णय पारित हो चुका है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी होगी। तत्पश्चात दिनांक 6–7–2012को उक्त आदेश की नकल प्राप्त कने हेत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 11–07–2012को प्राप्त हुई तत्पश्चात सम्पूर्ण दस्तावेज का अध्ययन कर दिनांक 16–07–2012 को अपील तैयार कराकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 14 एक ही परिवार के सदस्य है। पारिवारिक सजरे अनुसार वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी/सहखातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 19, 20, 24, 29, 74, 78, 79, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 210, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 250, 251, 252, 253, 254, 285, 286, 287, 288, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 436, 437, 440, 441, 445, 446, 450, 21, 84, 449 कुल किता 47 कुल रकबा 29–8–0 बीघा ग्राम भोजपुरा तहसील ब्यावर में अवस्थित है। उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 2 के पूर्वज बन्ना व गुमाना पुत्रान श्री देवा का तथा शेष आधा हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 3 लगायत 14 के पूर्वज लूम्बा, कालू व हमीरा पुत्रान श्री दुदा का निहित है। उक्त आराजीयात के अतिरिक्त अपीलार्थी एवं रेस्पो संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या नये 155 पुराने 129 कुल किता 6, कुल रकबा 3–4–0 बीघा भी ग्राम भोजपुरा में अवस्थित है। जिसमें 1/2 हिस्सा अपीलार्थी की माता के फौत हो जाने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 468 दिनांक 6–9–2010 को अपीलार्थी के नाम तस्दीक किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया तथा 1/2 हिस्सा रेस्पो, संख्या 1 के नाम यथावत दर्ज है लेकिन उपरोक्त वर्णित कुल भूमि 29–8–0 बीघा के खाते में अपीलार्थी के दादा श्री गुमाना पुत्र श्री देवा फौत होने पर गुमाना के

संभागीय आयुक्त
अजमेर

हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्सा रेस्पो संख्या 1 के नाम तथा 1/2 हिस्सा अपीलार्थी के नाम विरासती नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। लेकिन नामान्तकरण संख्या 61 में श्री गुमाना के हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात रेस्पो संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि 1/2 हिस्से की अपीलार्थी का विधिक अधिकार है। लेकिन हल्का पटवारी द्वारा गुमाना पुत्र देवा के विधिक वारिसान की पूर्ण जांच किये बिना गैर कानूनी रूप से श्री गुमाना के हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात रेस्पो संख्या 1 श्रीमति लाडी बेवा श्री पूना के नाम अंकित करते हुए नामान्तकरण भरकर प्रस्तुत कर दिया। जिसे अतिरिक्त तहसीलदार, टाडगढ़ ने अवैधानिक रूप से तस्दीक भी कर दिया तथा उक्त नामान्तकरण की पुस्त पर श्री गुमाना का सजरा अंकित करते हुए उसमें हजारी पुत्र श्री गुमाना को "नाऔलाद लडके लडकी नहीं है" अंकित करते हुए नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। जबकि दूसरी ओर खाता संख्या नये 155 में स्वयं राजस्व एजेन्सी ही श्री हजारी की विरासत हजारी की पुत्री अपीलार्थी के नाम तस्दीक कर रही है। इससे स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 17–06–1992 अवैधानिक व त्रूटिपूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया है जिसे निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में गुमाना पुत्र देवा के हिस्से की आराजीयात में से 1/2 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण अपीलार्थी के नाम तस्दीक किया जाकर अधिकार अभिलेख में अमल दरामद किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहते हुए कि अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित सजरा प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण अपीलार्थी का वारिस के साथ सबंध स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जिस कारण उपरोक्त अपील खारीज फरमा दी गई जो विधिसम्मत नहीं है। क्योंकि उपरोक्त अपील में प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा कहीं भी अपीलार्थी को अपने परिवार का सदस्य नही होना सिद्ध नहीं किया है एवं न ही उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। जिससे कि अपीलार्थी उपरोक्त परिवार का सदस्य नहीं हो तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबंदी खाता संख्या 21 से गुमाना की विरासत पूना पुत्र गुमाना व घीसी बेवा हजारी के नाम अंकित किया जाना स्वयं सिद्ध था। जिसे आज दिनांक प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा चुनौति प्रदान नहीं की गई है। जिससे उक्त अधिकार अभिलेख से ही प्रस्तुत सजरा सही होना स्पष्ट सिद्ध था, लेकिन रिकार्ड पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा अधत्यन जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है उक्त जमाबंदी के अभाव में अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है जबकि विवादित नामान्तकरण संख्या 61 प्रस्तुत किया गया था एवं उसके अतिरिक्त नामान्तकरण संख्या 468 भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें घीसी बेवा हजारी की विरासत अपीलार्थी संतोष पुत्री हजारी के नाम दर्ज की गई एवं जमाबंदी खाता संख्या 21 से गुमाना की विरासत घीसी बेवा हजारी तथा पूना वल्द गुमाना के नाम तस्दीक होना सिद्ध था, जिससे सजरा एवं रिकार्ड दोनो की पुष्टि होती है। अपील

संभागीय आयुक्त
अजमेर

में वर्णित आराजीयात अपीलार्थी एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी /सह काश्तकारी की आराजीयात है जिसमें 1/2 हिस्सा अपीलार्थी भी का निहित है। केवल नामान्तकरण संख्या 61 में अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया, उपरोक्त दुरूस्ती हेतु उक्त अपील प्रस्तुत की गई है क्योकि अपीलार्थी को खातेदारी उद्घघोषणा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योकि विवादित भूमि अपीलार्थी की पुश्तैनी आराजीयात है जिसमें विरासती नामान्तकरण तस्दीक करते समय अपीलार्थी का नाम सहवनवश छूट गया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देते हुए अपील को खारीज कर दी जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि वादयस्त आराजीयात में बन्ना व गुमाना पुत्रान श्री देवा का 1/2 हिस्सा निहित है, जैसा कि सलंग्न चौसाला एवं वर्किंग जमाबंदीयों से सिद्ध है तथा गुमाना के वारिसान में पूना पुत्र गुमाना फौत होने से श्री पूना की पत्नि श्रीमति लाडी (रेस्पो संख्या 1) तथा हजारी पुत्र गुमाना तथा हजारी की पत्नि श्रीमति घीसी पत्नि हजारी फौत होने से श्री हजारी की एक मात्र पुत्री संतोष (अपीलार्थी) ही वारिस है, ऐसी स्थिति में श्री गुमाना के स्वर्गवास के पश्चात उनकी विरासत बाबत तस्दीक नामान्तकरण संख्या 61 में श्रीमति लाड़ी बेवा पूना के साथ–साथ अपीलार्थी के नाम भी बहिस्सा बराबर विरासती नामान्तकरण तस्दीक किया जाकर अमल दरामद किया जाना चाहिए। लेकिन नामान्तरकरण संख्या 61 में भी गुमाना के हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि 1/2 हिस्से की अपीलार्थी विधिक अधिकारीनी है। नामान्तकरण संख्या 61 दिनांक 17–06–1992 एवं नामान्तकरण संख्या 468 दोनो ही राजस्व एजेन्सी द्वारा तस्दीक किये गये है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी श्री हजारी की पुत्री होने के कारण उसके 1/2 हिस्से की आराजियात का हक अधिकार रखती है। अधीनस्य न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, टाडगढ द्वारा नामान्तकरण संख्या 61 स्वीकृत करते समय श्री गुमाना के सभी विधिक वारिसान बाबत कोई जांच नहीं की एवं गैर कानूनी रूप से गुमाना के हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात का नामान्तकरण रेस्पो. संख्या 1 के नाम तस्दीक कर दिया तथा त्रुटिपूर्ण रूप से नामान्तकरण की पुस्त पर हजारी को नाऔलाद फौत होना बता दिया, जबकि अपीलार्थी श्री हजारी की जायन्दा पुत्री विधिक वारिसान है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–03–2012 एवं अतिरिक्त तहसीलदार, टाडगढ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 17–06–1992 निरस्त किया जाकर गुमाना पुत्र श्री देवा के हिस्से की आराजियात में से 1/2 हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम तस्दीक किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 22 के अभिभाषक ने दिनांक 6–12–2014 को लिखित बहस प्रस्तुत की थी जिसमें उल्लेखित किया है कि वादग्रस्त आराजियात जो अपील मीमों में अंकित है वह अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की पुश्तैनी आराजियात है। नामान्तरकरण संख्या 468 दिनांक 6–09–2010 को अपीलार्थी के नाम सही तस्दीक

किया गया है लेकिन नामान्तरकरण संख्या 61 त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया जिसमें अपीलार्थी का नाम यथा संतोष पुत्री श्री हजारी दर्ज किया जाना न्यायोचित था जो नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 468 प्रस्तुत किया गया था जिससे अपीलार्थी हजारी पुत्र श्री गुमाना की पुत्री होना स्वयं सिद्ध था। वादग्रस्त आराजियात में गुमाना पुत्र श्री देवा का 1/2 हिस्सा निहित है एवं अपीलार्थी गुमाना के पुत्र हजारी की पुत्री है जिससे विरासती नामान्तरकरण संख्या 61 में लाडी बेवा पूना के साथ–साथ अपीलार्थी भी बहिस्सा बराबर दर्ज करवाने की अधिकारीनी है। इसमें लाडी बेवा पुना तथा शंकर पुत्र चतरा एवं अमर सिंह पुत्र पहाड़ा को कोई एतराज नहीं है। राजस्व एजेन्सी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 468 सही तस्दीक किया गया है तथा नामान्तरकरण संख्या 61 त्रूटिपूर्ण तस्दीक किया गया है क्योंकि उक्त नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 17–06–1992 में अपीलार्थी संतोष पुत्री हजारी का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी का उक्त नामान्तरकरण में वर्णित आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 61 में लाडी बेवा पूना के साथ अपीलार्थी संतोष पुत्री श्री हजारी (हजारी पुत्र श्री गुमाना) के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर राजस्व अभिलेख में लाडी बेवा पूना के साथ अपीलार्थी संतोष पुत्री हजारी का नाम दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम भोजपुरा तहसील ब्यावर स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 19, 20, 24, 29, 74, 78, 79, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95,. 210, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 250, 251, 252, 253, 254, 285, 286, 287, 288, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 436, 437, 440, 441, 445, 446, 450, 21, 84, 449 कुल किता 47 कुल रकबा 29–8–0 बीघा अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण की पुश्तैनी संयुक्त/सहखातेदारी की आराजियात है जिसमें अपीलार्थी का भी 1/2 हिस्सा निहित है। अतिरिक्त तहसीलदार, टाडगढ ने पटवारी हल्का के द्वारा गुमाना पुत्र देवा की मृत्यु के उपरान्त विरासतन नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 17–06–1992 प्रत्यर्थी संख्या 1 लाडी बेवा श्री पूना जाति रावत के नाम स्वीकृत कर दिया। जबकि अपीलार्थी हजारी की पुत्री होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसका भी हजारी के 1/2 हिस्से की आराजियात पर उसका भी अधिकार निहित है। अतिरिक्त तहसीलदार, टाडगढ ने नामान्तरकरण तस्दीक करते समय गुमाना पुत्र देवा, हजारी पुत्र गुमाना के विधिक वारिसान की जांच नहीं कर केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 17–06–1992 के विरूद्ध अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 16–3–2012 द्वारा खारिज कर दी। जबकि अपीलार्थी गुमाना पुत्र देवा के पुत्र हजारी की पुत्री है और वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी संयुक्त सहखातेदारी की आराजियात होने से अपीलार्थी भी

प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है। अतिरिक्त तहसीलदार, टाटगढ ने नामान्तरकरण संख्या 61 त्रुटिपूर्ण रूप से स्वीकृत किया है जिसमें अपीलार्थी का नाम संतोष पुत्री श्री हजारी दर्ज किया जाना न्यायोचित था जो नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 468 प्रस्तुत किया गया था जिससे अपीलार्थी हजारी पुत्र श्री गुमाना की पुत्री होना स्वयं सिद्ध था। वादग्रस्त आराजियात में गुमाना पुत्र श्री देवा का 1/2 हिस्सा निहित है एवं अपीलार्थी गुमाना के पुत्र हजारी की पुत्री है जिससे विरासती नामान्तरकरण संख्या 61 में लाडी बेवा पूना के साथ–साथ अपीलार्थी का भी बराबर का हक अधिकार निहित है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–03–2012 एवं अतिरिक्त तहसीलदार, टाडगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 17–06–1992 विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–03–2012 अन्तर्गत अपील संख्या 05/2011 बउनवान संतोष बनाम लाडी व अन्य एवं अतिरिक्त तहसीलदार, टाडगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 17–06–1992 विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार, ब्यावर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे ग्राम भोजपुरा तहसील ब्यावर स्थित विवादित आराजियात के मूल खातेदार गुमाना पुत्र देवा के विधिक वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण संबंधी आदेश पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30–12–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर